उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

पत्रांक:31 / 1499 /सत्रह-म-2023-17-1099/63/2022

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2023

शुद्धि-पत्र

मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम /उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणियों के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित जलाशय नीति-2023 में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर-2 में त्रुटिवश " शासनादेश संख्या-24/2018/ 1263/सत्रह-म-2018-5(69)/81 दिनांक 27 अगस्त, 2018 में युक्तियुक्त संशोधन" टंकित हो गया है एवं प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर- 3 (2) II (C) में त्रुटिवश " बिना पूर्व सूचना व शपथ पत्र के ठेका बीच में छोड़ने पर निरस्त होने की स्थिति में ठेके के स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा श्रेणी-01, 02, 03, 04 एवं 5 के जलाशयों की ई-निविदा/ निविदा से सम्बन्धित वार्षिक आधार पर जो सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होगा, उसकी 25 प्रतिशत धनराशि ई-निविदा/निविदा स्वीकार करने के उपरान्त ठेकेदार /समिति को अगले 03 बैंक कार्य दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा, शेष 75 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध के पश्चात 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा निगम/संघ के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों हेतु बैंक ड्राफ्ट /आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही जमा की जायेगी।" टंकित हो गया है तथा प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर- 4 (2) V के आगे उप प्रस्तर- 4 (3) के अन्तर्गत " श्रेणी-1, 2 एवं 3 के जलाशयों के औसत जलभराव क्षेत्रफल (AVEAGE WATER SPREAD AREA) के पॉच प्रतिशत जलक्षेत्र तक भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केज/पेन एवं इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क आदि परियोजनाओं हेतु निर्धारित मार्ग-निर्देशानुसार संचालन एवं मत्स्य अनुसंधान कार्यो हेतु आरक्षित रहेगा। मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन कराने पर ठेकेदार/समिति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मत्स्य विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश ठेकेदार/समिति पर बाध्यकारी होगा।" टंकित होने से छूट गया है।

2- शासनादेश संख्या-28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर-2 में अंकित "शासनादेश संख्या-24/2018/1263/सत्रह-म-2018-5(69)/81 दिनांक 27 अगस्त, 2018 में युक्तियुक्त संशोधन" के स्थान पर "शासनादेश संख्या-24/2018/1263/सत्रह-म-2018-5(69)/81 दिनांक 27 अगस्त, 2018 सहित अन्य सुसंगत शासनादेश में युक्तिसंगत संशोधन" पढा जाय, उप प्रस्तर- 3 (2) II (C) में त्रुटिवश टंकित "बिना पूर्व सूचना व शपथ पत्र के ठेका बीच में छोड़ने पर निरस्त होने की स्थिति में ठेके के स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा श्रेणी-01, 02, 03, 04 एवं 5 के जलाशयों की ई-निविदा/ निविदा से सम्बन्धित वार्षिक आधार पर जो सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होगा, उसकी 25 प्रतिशत धनराशि ई-निविदा/निविदा स्वीकार करने के उपरान्त ठेकेदार /समिति को अगले 03 बैंक कार्य दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा, शेष 75 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध के पश्चात 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा निगम/संघ के प्रबन्धान्तर्गत आने वाले जलाशयों हेतु बैंक ड्राफ्ट /आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही जमा की जायेगी।" के स्थान पर "बिना पूर्व सूचना व शपथ

पत्र के ठेका बीच में छोड़ने पर ठेका निरस्त होने की स्थिति में ठेके के स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा जमानत धनराशि ब्याज सहित जब्त कर ली जायेगी।" पढा जाय तथा शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-4(2) V के ठीक बाद उप प्रस्तर-4(3) के अन्तर्गत " श्रेणी-1, 2 एवं 3 के जलाशयों के औसत जलभराव क्षेत्रफल (AVEAGE WATER SPREAD AREA) के पाँच प्रतिशत जलक्षेत्र तक भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केज/पेन एवं इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क आदि परियोजनाओं हेतु निर्धारित मार्ग-निर्देशानुसार संचालन एवं मत्स्य अनुसंधान कार्यों हेतु आरक्षित रहेगा। मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन कराने पर ठेकेदार/समिति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मत्स्य विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश ठेकेदार/समिति पर बाध्यकारी होगा।" पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- शासनादेश संख्या-28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 की शेष व्यवस्था/ शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 19-10-2023 14:30:50

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:31/1499/सत्रह-म-2023 तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर पद्रेश मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- निदेशक, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश।
9- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त आयुक्त उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
12- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
13 समस्त उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरीश कुमार
अनुसचिव।